



लेखे एक दृष्टि में 2020—2021



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्यप्रदेश सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2020—2021

मध्यप्रदेश सरकार

आमुख

यह हमारे वार्षिक प्रकाशन “लेखे एक दृष्टि में” का तेइसवाँ अंक है।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की आवश्यकतानुसार नियंत्रक महालेखापरीक्षक के निर्देशन के अधीन राज्य शासन के वार्षिक लेखे राज्य के विधानमंडल में रखे जाने के लिए तैयार कर जांच किए जाते हैं। वार्षिक लेखाओं में (अ) वित्त लेखे एवं (ब) विनियोग लेखे समाहित होते हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत लेखे के संक्षिप्त विवरण होते हैं। विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध मांगवार व्यय तथा प्रदत्त निधि एवं वास्तविक व्यय के मध्य अंतरों के लिए प्रस्तावित स्पष्टीकरणों को इंगित करता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है।

“लेखे एक दृष्टि में” वित्त एवं विनियोग लेखे में प्रतिबिम्बित शासकीय क्रियाकलापों का एक विस्तृत विहंगावलोकन है। इसमें सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों तथा ग्राफ्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह आंकड़े मध्यप्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे से लिए गए हैं। अंतर की स्थिति में वित्त एवं विनियोग लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों को सही समझा जावे।

इस प्रकाशन को अधिक उपयोगी बनाने के लिये सुझाव आमंत्रित है।

स्थान : ग्वालियर

दिनांक : 25/02/2022


(रवीन्द्र पत्तार)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
मध्यप्रदेश

हमारी दृष्टि, लक्ष्य एवं आन्तरिक मूल्य

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संस्था का दृष्टिकोण हमारी भावी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

हम वैश्विक नेतृत्व के लिये प्रयासरत हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम कार्यपद्धति के पहलकारों में रहे हैं और शासन तथा सार्वजनिक वित्त की स्वतंत्र, विश्वसनीय, सन्तुलित एवं सामयिक सूचना देने के लिये पहचाने जाते हैं।

हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रतिपादित एवं हम आज जो कर रहे हैं, उसे उल्लिखित करता है।

भारत के संविधान से अधिदिष्ट, हम उच्च गुणवत्तापूर्ण लेखांकन एवं लेखापरीक्षा के द्वारा उत्तरदायी, पारदर्शी एवं सुशासन को प्रोत्साहित करते हैं एवं अपने हितधारकों-विधायिका, कार्यपालिका एवं आमजन को स्वतंत्रतापूर्वक आश्वासन देते हैं कि, लोक निधियों का पूर्ण दक्षता एवं इच्छित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है।

हम जो भी करते हैं, उसके लिये हमारे बुनियादी मूल्य मार्गदर्शक दीपस्तम्भ की तरह हैं जो हमारे कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिये मानक तय करते हैं :-

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यपरकता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक पहल

विषय सूची

पृष्ठ

अध्याय 1 विहंगावलोकन

| | | |
|-----|---|----|
| 1.1 | प्रस्तावना | 1 |
| 1.2 | लेखे का स्वरूप | 1 |
| 1.3 | वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे | 2 |
| 1.4 | निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग | 7 |
| 1.5 | राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005 | 10 |

अध्याय 2 प्राप्तियां

| | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | प्रस्तावना | 12 |
| 2.2 | राजस्व प्राप्तियां | 12 |
| 2.3 | कर राजस्व | 14 |
| 2.4 | कर संग्रहण की दक्षता | 16 |
| 2.5 | विगत पांच वर्षों में संघीय करों में राज्यांश की प्रवृत्ति | 17 |
| 2.6 | सहायता अनुदान | 17 |
| 2.7 | लोक ऋण | 18 |

अध्याय 3 व्यय

| | | |
|-----|----------------|----|
| 3.1 | प्रस्तावना | 21 |
| 3.2 | राजस्व व्यय | 21 |
| 3.3 | पूंजीगत व्यय | 23 |
| 3.4 | प्रतिबद्ध व्यय | 24 |

अध्याय 4 विनियोग लेखे

| | | |
|-----|---|----|
| 4.1 | विनियोग लेखे का सार | 26 |
| 4.2 | विगत पांच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति | 26 |
| 4.3 | महत्वपूर्ण बचतें | 26 |

अध्याय 5 परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

| | | |
|-----|----------------|----|
| 5.1 | परिसम्पत्तियां | 29 |
| 5.2 | ऋण तथा दायित्व | 29 |
| 5.3 | प्रत्याभूतियां | 31 |

अध्याय 6 अन्य मदें

| | | |
|-----|---|----|
| 6.1 | राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम | 32 |
| 6.2 | स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता | 32 |
| 6.3 | रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश | 33 |
| 6.4 | लेखों का पुनर्मिलान | 33 |
| 6.5 | राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र | 33 |
| 6.6 | उचंत शेषों का संचय | 34 |

अध्याय — 1

विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना


मध्यप्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं के संकलन का कार्य प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाता है। यह संकलन जिला कोषालयों एवं लोक निर्माण संभागों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित होता है। ऐसे संकलन के पश्चात प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, प्रतिवर्ष वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है, जिन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा—II) मध्यप्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा एवं भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 लेखे का स्वरूप

1.2.1 शासकीय लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :

| | |
|-------------------------|---|
| भाग 1 समेकित निधि | राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं की प्राप्तियां एवं व्यय, लोक ऋण और ऋण एवं अग्रिम, अन्तर्राज्यीय परिशोधन, आकस्मिकता निधि को विनियोग |
| भाग 2 आकस्मिकता निधि | बजट में उपबन्धित न किये गये अनवेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु। इस निधि से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में समेकित निधि से की जाती है। |
| भाग 3 लोक लेखा | अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे – अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा, अग्रिम, आरक्षित निधियाँ, प्रेषण एवं उचंत शीर्ष शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहती है। |

1.2.2 लेखों का संकलन



1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के साथ ही राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखाओं एवं लोक लेखे में दर्ज शेषों के लेखाओं का चित्रण करते हैं। वित्त लेखाओं को अधिक विस्तृत एवं सूचनात्मक बनाने की दृष्टि से वर्ष 2009-10 से इन्हें दो खण्डों में जारी किया जा रहा है। खण्ड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र सहित समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों के संक्षिप्त विवरण पत्रक एवं लेखांकन नीतियों के महत्वपूर्ण सार, लेखाओं की गुणवत्ता एवं अन्य मदें को समाविष्ट करते हुए 'लेखाओं पर टिप्पणी', समाहित हैं। खण्ड-II में विस्तृत विवरण (भाग-I) एवं परिशिष्ट (भाग-II) शामिल हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे में दर्शाये प्राप्तियां एवं संवितरण निम्नानुसार हैं :-

(₹ करोड़ में)


| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|
| प्राप्तियां कुल : (19,63,19) | राजस्व कुल : (14,63,77) | कर राजस्व | 10,13,73 |
| | | (क) स्वयं का कर राजस्व | 5,44,59 |
| | | (ख) करों की शुद्ध आय का हिस्सा | 4,69,14 |
| | | करेतर राजस्व | 99,02 |
| | | सहायता अनुदान | 3,51,02 |
| | पूंजीगत कुल : (4,99,42) | ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां | 58 |
| | | उधार और अन्य दायित्व ¹ | 4,98,69 |
| अन्य प्राप्तियां ² | | 15 | |
| संवितरण कुल : (19,63,19) | राजस्व | 16,47,33 | |
| | पूंजीगत | 3,03,56 | |
| | ऋण तथा अग्रिम | 12,30 | |
| | अन्तर्राज्यीय परिशोधन | — | |

¹ उधार और अन्य दायित्व: लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियां-संवितरण) (₹ 5,24,13 करोड़) + आकस्मिकता निधि की निवल राशि (निरंक करोड़) + लोक लेखे की निवल राशि (प्राप्तियां-संवितरण) (₹ (-) 15,63 करोड़) + रोकड़ शेष का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष की निवल राशि (₹ (-) 9,81 करोड़)

² सहकारी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अंशपूंजी में निवेश की वापसी से संबंधित पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 15 करोड़) तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन (निरंक करोड़) सम्मिलित हैं।

वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्ति एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)



* उधार एवं अन्य देनदारियां : शुद्ध (प्राप्ति-संवितरण) लोक ऋण + शुद्ध आकस्मिक निधि + शुद्ध (प्राप्ति-संवितरण) लोक लेखे + शुद्ध प्रारम्भिक एवं अंतिम नगद शेष।

संघ सरकार, राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय संगठनों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सीधे प्रचुर निधियां स्थानान्तरित करती हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार ने सीधे ₹ 21,70 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 26,72 करोड़) विमुक्त किये हैं। चूंकि ये निधियां राज्य के बजट के माध्यम से नहीं दी गई हैं अतः ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रतिबिम्बित नहीं होती। ये स्थानांतरण वित्त लेखे के खण्ड-II के परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित हो रही हैं।

निम्न तालिका वर्ष 2020-21 के लिए पुनरीक्षित अनुमान के साथ-साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदर्शित करती है :-

(₹ करोड़ में)

| मर्दे | पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 | वास्तविक राशि | पुनरीक्षित अनुमान से वास्तविक राशि की प्रतिशतता | सकल राज्य घरेलू उत्पाद से वास्तविक राशि की प्रतिशतता ³ |
|--|---------------------------|-----------------------|---|---|
| 1. कर राजस्व | 9,65,21 ⁴ | 10,13,73 ⁴ | 105 | 11 |
| 2. करेतर राजस्व | 97,15 | 99,02 | 102 | 1 |
| 3. सहायता अनुदान तथा अंशदान | 3,09,34 | 3,51,02 | 113 | 4 |
| 4. राजस्व प्राप्तियां (1+2+3) | 13,71,69 | 14,63,77 | 107 | 16 |
| 5. ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां | 71 | 58 | 82 | 0 |
| 6. अन्य प्राप्तियां ⁵ | .. | 15 | .. | 0 |
| 7. उधार तथा अन्य दायित्व ⁶ | 5,25,92 | 4,98,69 | 95 | 5 |
| 8. पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7) | 5,26,64 | 4,99,42 | 95 | 5 |
| 9. कुल प्राप्तियां (4+8) | 18,98,33 | 19,63,19 | 104 | 21 |
| 10. राजस्व व्यय | 15,85,45 | 16,47,33 | 104 | 18 |
| 11. ब्याज भुगतान पर व्यय (मद क्र.10 के अन्तर्गत) | 1,64,59 | 1,59,18 | 97 | 2 |
| 12. पूंजीगत व्यय | 2,96,71 | 3,03,56 | 102 | 3 |
| 13. संवितरित ऋण तथा अग्रिम | 12,90 | 12,30 | 95 | 0 |
| 14. अन्तर्राज्यीय परिशोधन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. कुल व्यय (10+12+13+14) | 18,95,06 | 19,63,19 | 104 | 21 |
| 16. राजस्व घाटा (4-10) | 2,13,76 | 1,83,56 | 86 | 2 |
| 17. राजकोषीय घाटा (4+5+6-10-12-13-14) | 5,22,66 | 4,98,69 | 95 | 5 |

³ योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग म.प्र.शासन द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद राशि ₹ 91,75,55 करोड़ ली गई है।

⁴ संघ करों का अंश ₹ 4,33,73 करोड़ पुनरीक्षित अनुमान एवं ₹ 4,69,14 वास्तविक राशि सम्मिलित है।

⁵ पृष्ठ क्रमांक 3 पर पाद टिप्पणी 2 देखें।

⁶ पृष्ठ क्रमांक 3 पर पाद टिप्पणी 1 देखें।

1.3.2 घाटा और आधिक्य क्या संकेत करते हैं ?

| | |
|-----------------------------|--|
| घाटा | राजस्व और व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे वित्त व्यवस्थित किया जाता है और निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय व्यवस्था में दूरदर्शिता के मुख्य सूचक हैं। |
| राजस्व घाटा/आधिक्य | राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। राजस्व व्यय शासन की विद्यमान स्थापना के संधारण के अपेक्षित हैं तथा आदर्श रूप से पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों से पूरा होना चाहिए। |
| राजकोषीय घाटा/आधिक्य | कुल प्राप्तियों (उधारों को पृथक कर) तथा कुल व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। अतः यह अंतर दर्शाता है कि उधारों द्वारा किस सीमा तक व्यय को वित्त व्यवस्थित किया गया है। आदर्श रूप से उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए। |

1.3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक हैं। वे राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित “दत्तमत” और संचित निधि पर “प्रभारित” राशियों के विरुद्ध राज्य सरकार के व्यय को प्रदर्शित करते हैं। 2 प्रभारित विनियोग एवं 68 दत्तमत अनुदान हैं। 68 दत्तमत अनुदानों में से 50 अनुदानों में प्रभारित व्यय के लिए बजट प्रावधान है।

विनियोग अधिनियम 2020-21 में ₹ 23,59,27 करोड़ के सकल व्यय एवं ₹ 50,54 करोड़ व्यय में कमी (वसूलियां) उपबंधित हैं। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 21,29,83 करोड़ एवं व्यय में कमी ₹ 39,07 करोड़ रही, परिणामतः ₹ 2,29,44 करोड़ (9.72 प्रतिशत) की बचत एवं ₹ 11,47 करोड़ (22.69 प्रतिशत) ‘व्यय में कमी’ का अधिक प्राक्कलन रहा।

वर्ष 2020-21 में ₹ 5,51 करोड़ समेकित निधि से लोक लेखे के अंतर्गत व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों में अंतरित किए गए, जो निर्दिष्ट प्रशासकों द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए संधारित किए जाते हैं। सामान्यतः वित्तीय वर्ष के अंत में व्यक्तिगत जमा खातों के अन्तर्गत अव्ययित रही राशि शासन को वापिस स्थानान्तरित की जानी होती है। हालांकि, इस प्रकार के स्थानान्तरणों का विस्तृत विवरण, यदि कोई हो एवं व्यक्तिगत जमा खातों में लंबित शेष केवल कोषालयों में उपलब्ध है, क्योंकि वे इस प्रकार के अभिलेख संधारित करने हेतु जिम्मेदार हैं।

1.4 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान कर उसकी तरलता बनाये रखने में समर्थ बनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार न्यूनतम शेष राशि (₹ 1.96 करोड़) में कमी होने पर अधिविकर्षण की सुविधा दी जाती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्षण सुविधाओं का सहारा नहीं लिया गया।

1.4.2 निधियों के प्रवाह का विवरण

राज्य के पास ₹ 1,83,56 करोड़ का राजस्व घाटा एवं ₹ 4,98,69 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)⁷ का क्रमशः 2 प्रतिशत एवं 5.44 प्रतिशत रहा। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 25 प्रतिशत रहा। यह घाटा लोक ऋण (₹ 5,24,13 करोड़) से पूरा किया गया। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 14,63,77 करोड़) का लगभग 56 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय जैसे मजदूरी सहित वेतन (₹ 3,77,59 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 1,59,18 करोड़), पेंशन (₹ 1,46,71 करोड़) एवं राज सहायता (₹ 1,36,69 करोड़) पर व्यय किया गया।

⁷ जहाँ अन्यथा दर्शाया गया है, के सिवाय, इस प्रकाशन में उपयोग में लाये गये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंक म.प्र. शासन के योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आर्थिक सर्वेक्षण से लिये गये हैं।

निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)


| स्रोत | विवरण | राशि |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 01 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक नगद शेष |
| | राजस्व प्राप्तियां | 14,63,77 |
| | पूंजीगत प्राप्तियां | 15 |
| | कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां | 58 |
| | लोक ऋण | 6,51,70 |
| | अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य | 50,54 |
| | आरक्षित एवं निक्षेप निधि | 82,85 |
| | जमा प्राप्ति | 5,86,87 |
| | चुकता सिविल अग्रिम | — |
| | उचन्त लेखा | 43,12,25 |
| | प्रेषण | 1,55,13 |
| | अन्तर्राज्यीय परिशोधन | — |
| | योग | 72,57,61 |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| अनुप्रयोग | राजस्व व्यय | 16,47,33 |
| | पूंजीगत व्यय | 3,03,56 |
| | संवितरित ऋण | 12,30 |
| | लोक ऋण का पुनर्भुगतान | 1,27,57 |
| | अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य | 41,94 |
| | आरक्षित एवं निक्षेप निधि | 43,56 |
| | जमा व्यय | 5,71,63 |
| | दिए गए सिविल अग्रिम | — |
| | उचन्त लेखा | 44,01,44 |
| | प्रेषण | 1,45,10 |
| | 31 मार्च 2021 को अंतिम नगद शेष | (-) 36,42 |
| | अन्तर्राज्यीय परिशोधन | — |
| | योग | 72,57,61 |

1.4.3 रुपया कहां से आया

(₹ करोड़ में)

वास्तविक प्राप्तियां




टीप : शून्य मान वर्ष के दौरान नगण्य 'अन्य प्राप्तियों' को दर्शाता है।

1.4.4 रुपया कहां गया

(₹ करोड़ में)

वास्तविक व्यय



1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अपेक्षित है कि, राज्य सरकार, वार्षिक बजट पेश करते समय तीन विवरणों में प्रकटीकरण करे अर्थात् (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण तथा (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण। बजट वर्ष 2020-21 में उक्त विवरणों को बनाते समय राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकटनों को बनाया गया है।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 15 जनवरी 2016, 23 मार्च 2017 एवं 30 मार्च 2017 में, राज्य सरकार द्वारा म.प्र.रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2005, में संशोधन किया गया। अधिनियम में दिये गए लक्ष्य एवं वर्ष 2020-21 में निष्पादन जैसा कि लेखों में प्रदर्शित है, नीचे दर्शाया गया है :-

म.प्र.रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियम के अनुरूप राजकोषीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां


| क्षेत्र | लक्ष्य | उपलब्धियां (2020-21) |
|------------------------|---|--|
| राजस्व आधिक्य/ घाटा | राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जी.एस.डी.पी. के 1.85 प्रतिशत से अधिक नहीं। | लेखाओं के अनुसार राजस्व घाटा ₹ 1,83,56 करोड़ है। |
| राजकोषीय घाटा | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के 4.99 प्रतिशत से अधिक नहीं | लेखाओं के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹ 4,98,69 करोड़ है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 5.44 प्रतिशत है। |
| बकाया ऋण | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के 28.83 प्रतिशत से अधिक नहीं | वर्ष 2020-21 में ₹ 28,47,56 करोड़ बकाया ऋण था जो जी.एस.डी.पी. का 31.03 प्रतिशत है। |

टीप :- इस ऋण में ₹ 45,42.00 करोड़ शामिल नहीं है, जो भारत सरकार के पत्र क्र.एफ.नं.40 (1)पी.एफ.-एस/2021-22 दिनांक 10.12.2021 के अनुसार 'जी.एस.टी. शॉर्टफाल के बदले में बैंक टू बैंक ऋण' के रूप में दिया गया है।

* स्रोत-योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र.शासन के अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 91,75,55 करोड़ लिया गया है।


1.5.1 राजस्व आधिक्य/घाटा की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



1.5.2 राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



अध्याय – 2

प्राप्तियां


2.1 प्रस्तावना

शासन की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2020-21 में कुल प्राप्तियां ₹ 19,63,19 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

| | |
|---------------|--|
| कर राजस्व | राज्य द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित एवं संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अधीन राज्य के संघीय करों का अंश समाविष्ट होते हैं। |
| करेतर राजस्व | ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ इत्यादि सम्मिलित होते हैं। |
| सहायता अनुदान | संघ सरकार से राज्य सरकार को अत्यावश्यक केन्द्रीय सहायता का रूप है। संघ सरकार की मध्यस्थता द्वारा विदेशी सरकारों से प्राप्त 'बाह्य अनुदान सहायता' तथा 'सहायता, सामग्री तथा उपकरण सम्मिलित' है। इसी प्रकार राज्य शासन, संस्थाओं जैसे :- पंचायती राज संस्थाएं, स्वशासी निकाय आदि को भी सहायता अनुदान देता है। |

राजस्व प्राप्तियां



राजस्व प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

| घटक | वास्तविक राशि |
|-------------------------------------|-----------------|
| क. कर राजस्व | 10,13,73 |
| वस्तु एवं सेवा कर | 3,12,04 |
| आय और व्यय पर कर | 2,89,87 |
| पूंजीगत लेन-देनों तथा संपत्ति पर कर | 80,59 |
| वस्तुओं और सेवाओं पर कर | 3,31,23 |
| ख. करेतर राजस्व | 99,02 |
| ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ | 5,31 |
| सामान्य सेवाएं | 11,81 |
| सामाजिक सेवाएं | 17,49 |
| आर्थिक सेवाएं | 64,41 |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान | 3,51,02 |
| योग – राजस्व प्राप्तियां | 14,63,77 |

प्राप्तियों का रुझान


(₹ करोड़ में)

| | 2016—17 | 2017—18 | 2018—19 | 2019—20 | 2020—21 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| कर राजस्व | 9,02,58 (14) | 9,56,64 (13) | 10,83,69 (13) | 10,53,41 (12) | 10,13,73 (11) |
| करेतर राजस्व | 90,87 (1) | 90,61 (1) | 1,18,99 (1) | 1,03,50 (1) | 99,02 (1) |
| सहायता अनुदान | 2,39,62 (4) | 3,01,50 (4) | 2,86,25 (4) | 3,19,52 (4) | 3,51,02 (4) |
| कुल राजस्व प्राप्तियां | 12,33,07 (19) | 13,48,75 (19) | 14,88,93 (18) | 14,76,43 (16) | 14,63,77 (16) |
| जी.एस.डी.पी. | 64,88,49 | 72,82,42 | 80,93,27 | 90,66,72 | 91,75,55 |

नोट :- कोष्ठक में दिये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान कर राजस्व तथा करेतर राजस्व में प्रत्येक में 4 प्रतिशत की कमी हुई।

जी.एस.डी.पी. के अनुपात में राजस्व प्राप्तियों के अधीन घटक




2.3 कर राजस्व :-

(₹ करोड़ में)

| घटक | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| वस्तु एवं सेवा कर | — | 1,45,45 | 3,38,28 | 3,44,99 | 3,12,04 |
| आय और व्यय पर कर | 2,53,34 | 2,90,59 | 3,51,37 | 3,04,23 | 2,89,87 |
| संपत्ति तथा पूंजिगत संव्यवहारों पर कर | 49,49 | 59,23 | 63,71 | 68,51 | 80,59 |
| सेवाओं और वस्तुओं पर कर | 5,99,75 | 4,61,37 | 3,30,33 | 3,35,68 | 3,13,23 |
| कुल कर राजस्व | 9,02,58 | 9,56,64 | 10,83,69 | 10,53,41 | 10,13,73 |

जी.एस.डी.पी. के अनुपात में मुख्य करों का रुझान



(*) मुख्य रूप से राज्य को केन्द्रांश की निवल प्राप्ति

राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कर राजस्व | संघ करों में राज्य का अंश | राज्य का स्वयं का कर राजस्व | |
|---------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | राशि | जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत |
| 2016-17 | 9,02,58 | 4,60,64 | 4,41,94 | 7 |
| 2017-18 | 9,56,64 | 5,08,53 | 4,48,11 | 6 |
| 2018-19 | 10,83,69 | 5,74,87 | 5,08,82 | 6 |
| 2019-20 | 10,53,41 | 4,95,17 | 5,58,24 | 6 |
| 2020-21 | 10,13,73 | 4,69,14 | 5,44,59 | 6 |

2.4 कर संग्रहण की दक्षता

क. संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

| | 2016—17 | 2017—18 | 2018—19 | 2019—20 | 2020—21 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| राजस्व संग्रहण | 49,49 | 59,23 | 63,71 | 68,51 | 80,59 |
| संग्रहण पर व्यय | 6,00 | 8,97 | 8,85 | 10,73 | 32,15 |
| कर संग्रहण की लागत (प्रतिशत में) | 12 | 15 | 14 | 16 | 40 |

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

| | 2016—17 | 2017—18 | 2018—19 | 2019—20 | 2020—21 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| राजस्व संग्रहण | 5,99,75 | 4,61,37 | 3,30,33 | 3,35,68 | 3,31,23 |
| संग्रहण पर व्यय | 20,31 | 23,06 | 26,16 | 21,29 | 36,81 |
| कर संग्रहण की लागत (प्रतिशत में) | 3 | 5 | 8 | 6 | 11 |

कर राजस्व का मुख्य अंश वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर से आता है। कर संग्रहण में दक्षता मध्यम है, हालांकि संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर संग्रहण दक्षता कमजोर है एवं इसमें सुधार की आवश्यकता है।

2.5 विगत पांच वर्षों में संघ करों में राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर | -- | 7,16 | 1,41,88 | 1,40,52 | 1,39,47 |
| एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर | -- | 51,32 | 11,32 | -- | -- |
| निगम कर | 1,47,52 | 1,55,69 | 1,99,90 | 1,68,84 | 1,41,55 |
| आय पर निगम कर से भिन्न कर | 1,02,52 | 1,31,47 | 1,47,22 | 1,32,29 | 1,45,12 |
| आय तथा व्यय पर अन्य कर | -- | -- | 1,04 | -- | -- |
| धन कर | 34 | -- | 7 | 1 | -- |
| सीमा शुल्क | 63,46 | 51,31 | 40,75 | 31,39 | 24,95 |
| संघ उत्पाद शुल्क | 72,46 | 53,63 | 27,08 | 21,82 | 15,77 |
| सेवा कर | 74,34 | 57,95 | 5,31 | -- | 2,03 |
| वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | -- | -- | 30 | 31 | 25 |
| संघ करों में राज्य का अंश | 4,60,64 | 5,08,53 | 5,74,87 | 4,95,18 | 4,69,14 |
| कुल कर राजस्व | 9,02,58 | 9,56,64 | 10,83,69 | 10,53,41 | 10,13,73 |
| कुल कर राजस्व में संघ करों का प्रतिशत | 51 | 53 | 53 | 47 | 46 |


2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य निधि व्यय हेतु अनुदान एवं नीति आयोग द्वारा अनुमोदित केन्द्र सहायता सहित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं/केन्द्रीय योजनाएं से संबंधित अनुदान शामिल है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्राप्तियों में सहायता अनुदान के अंतर्गत राशि नीचे दर्शाये अनुसार ₹ 3,51,02 करोड़ थी :-

(₹ करोड़ में)

सहायता अनुदान



पुनरीक्षित अनुमान ₹ 3,09,34 करोड़ में संघ अंश के विरुद्ध राज्य सरकार को वास्तविक रूप से ₹ 3,51,02 करोड़ (पुनरीक्षित अनुमान का 113 प्रतिशत) सहायता अनुदान प्राप्त हुआ।

2.7 लोक ऋण


विगत पांच वर्षों में लोक ऋण का रुझान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| आंतरिक ऋण | 2,46,73 | 1,52,92 | 1,63,26 | 1,97,83 | 4,29,26 |
| केन्द्रीय ऋण | 2,49 | 8,24 | 26,48 | 36,47 | 94,87 |
| कुल लोक ऋण | 2,49,22 | 1,61,16 | 1,89,74 | 2,34,30 | 5,24,13 |

टीप :- निवल आंकड़े = प्राप्तियां - संवितरण।


विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रुझान



वर्ष 2020-21, में 4.77 प्रतिशत से 7.07 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर कुल ₹ 4,55,73 करोड़ के पच्चीस बाजार ऋण लिये गये जो वर्ष 2021-22 से 2040-41 के मध्य सममूल्य पर मोचनीय है।

2.7.1 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधियों का अनुपात

उधारीकृत निधियां की तुलना पूंजीगत व्यय



यह वांछनीय है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधार निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जावे तथा मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किया जावे। राज्य सरकार के चालू वर्ष का पूंजीगत व्यय (₹ 3,03,56 करोड़) है जो उधार के रूप में प्राप्त राशि (₹ 6,51,70 करोड़) का 47 प्रतिशत है।

अध्याय — 3

व्यय

3.1 प्रस्तावना

व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया गया है। संगठन को चलाने के लिये प्रतिदिन होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये राजस्व व्यय का उपयोग होता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी संपत्ति के निर्माण या ऐसी संपत्ति की उपयोगिता को बढ़ाने में या स्थायी दायित्वों को कम करने में होता है।

| | |
|----------------|--|
| सामान्य सेवाएं | इसमें न्याय प्रशासन, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि शामिल हैं। |
| सामाजिक सेवाएं | इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण इत्यादि शामिल है। |
| आर्थिक सेवाएं | इसमें कृषि, ग्राम विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल हैं। |

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2020-21 का राजस्व व्यय ₹ 16,47,33 करोड़ था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान से ₹ 61,88 करोड़ से अधिक था। म.प्र.रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के अनुसार लक्ष्य “सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के 1.85 प्रतिशत से अधिक नहीं” के विपरीत राज्य में राजस्व घाटा है जो कि जी.एस.डी.पी. का 2 प्रतिशत है।

विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत पुनरीक्षित अनुमान के विरुद्ध व्यय को नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

| | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| पुनरीक्षित अनुमान | 12,45,16 | 13,44,97 | 15,10,22 | 15,12,59 | 15,85,45 |
| वास्तविक | 11,95,37 | 13,02,46 | 14,21,49 | 15,04,44 | 16,47,33 |
| अंतर | 49,79 | 42,51 | 88,73 | 8,15 | (-) 61,88 |
| पुनरीक्षित अनुमान से अंतर का प्रतिशत | 4 | 3 | 6 | 1 | (-) 4 |

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय पुनरीक्षित अनुमान से 4 प्रतिशत अधिक है।


3.2.1 राजस्व व्यय का प्रक्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

| संघटक | राशि | कुल व्यय का प्रतिशत |
|--|-----------------|---------------------|
| क. राजकोषीय सेवाएं | 68,98 | 4 |
| (i) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण | 32,15 | 2 |
| (ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण | 36,81 | 2 |
| (iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं | 2 | .. |
| ख. राज्य के अंग | 15,63 | 1 |
| ग. ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन | 1,59,18 | 10 |
| घ. प्रशासनिक सेवाएं | 87,66 | 5 |
| ङ. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं | 1,47,40 | 9 |
| च. सामाजिक सेवाएं | 6,87,57 | 42 |
| छ. आर्थिक सेवाएं | 4,21,91 | 25 |
| ज. सहायता अनुदान तथा अंशदान | 59,00 | 4 |
| कुल व्यय (राजस्व लेखा) | 16,47,33 | 100 |

3.2.2 राजस्व व्यय के प्रधान संघटक (2016-17 से 2020-21) :-

(₹ करोड़ में)



* सामान्य सेवाओं से मुख्यशीर्ष 2049 (ब्याज अदायगी) को अलग किया गया है तथा मुख्यशीर्ष 3604 (स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को शामिल किया गया है।

3.3 पूंजीगत व्यय

3.3.1 पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 1,00,09 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹ 83,61 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 11,75 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹ 4,73 करोड़) व्यय किये। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा शीर्ष "आवास" के अंतर्गत ₹ 58 करोड़ भवनों के निर्माण पर तथा ₹ 27,33 करोड़ विभिन्न सांविधिक निगमों/सरकारी कंपनियों/सहकारी संस्थाओं में निवेश पर व्यय किये गये।

(₹ करोड़ में)


| स.क्र. | क्षेत्र | राशि | प्रतिशत |
|------------|--|----------------|------------|
| 1. | सामान्य सेवाएं – पुलिस, लेखन सामग्री और मुद्रण, लोक निर्माण कार्य एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएं इत्यादि | 9,74 | 3 |
| 2. | सामाजिक सेवाएं – शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण इत्यादि | 81,32 | 26 |
| 3. | आर्थिक सेवाएं – कृषि, ग्राम विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, इत्यादि | 2,12,50 | 67 |
| 4. | संवितरित ऋण तथा अग्रिम | 12,30 | 4 |
| 5. | अंतर्राज्यीय परिशोधन | -- | -- |
| योग | | 3,15,86 | 100 |

3.3.2 विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

| स.क्र. | क्षेत्र | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | सामान्य सेवाएं | 6,98 | 7,43 | 7,23 | 9,82 | 9,74 |
| 2. | सामाजिक सेवाएं | 32,85 | 53,58 | 57,19 | 69,22 | 81,32 |
| 3. | आर्थिक सेवाएं | 2,33,05 | 2,48,12 | 2,29,82 | 2,13,37 | 2,12,50 |
| 4. | ऋण तथा अग्रिम | 49,40 | 15,50 | 10,90 | 9,87 | 12,30 |
| 5. | अंतर्राज्यीय परिशोधन | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| योग | | 3,22,29 | 3,24,63 | 3,05,15 | 3,02,28 | 3,15,86 |


पूँजीगत व्यय के प्रक्षेत्रवार वितरण का रुझान



3.4 प्रतिबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय का रुझान



पिछले साल की तुलना में वेतन मजदूरी सहित में 21 प्रतिशत की वृद्धि, ब्याज भुगतान में 12 प्रतिशत की वृद्धि, पेंशन भुगतान में 22 प्रतिशत की वृद्धि एवं राज सहायता में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(₹ करोड़ में)

| घटक | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| प्रतिबद्ध व्यय | 5,59,61 | 6,37,43 | 7,31,58 | 7,00,72 | 8,20,17 |
| राजस्व व्यय | 11,95,37 | 13,02,46 | 14,21,49 | 15,04,44 | 16,47,33 |
| राजस्व प्राप्तियां | 12,33,07 | 13,48,75 | 14,88,93 | 14,76,43 | 14,63,77 |
| राजस्व व्यय का प्रतिबद्ध व्यय प्रतिशत | 47 | 49 | 51 | 47 | 50 |
| राजस्व प्राप्तियों का प्रतिबद्ध व्यय प्रतिशत | 45 | 47 | 49 | 47 | 56 |

प्रतिबद्ध व्यय पर प्रमुख संवितरण राज्य सरकार के लिये विकास खर्च पर कम लोच्यता छोड़ता है।

अध्याय – 4

विनियोग लेखे

4.1 विनियोग लेखे का सार – वर्ष 2020–21

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान/ विनियोग | पूरक अनुदान/ विनियोग | योग | वास्तविक व्यय | बचत (-) आधिक्य (+) | समर्पण/ पुनर्विनियोजन |
|---------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | राजस्व दत्तमत प्रभारित | 13,88,59.51 1,85,05.49 | 2,54,39.24 5,49.54 | 16,42,98.75 1,90,55.03 | 15,11,20.74 1,75,18.96 | (-) 1,31,78.01 (-) 15,36.07 | 62,37.75 79.30 |
| 2 | पूँजीगत दत्तमत प्रभारित | 2,98,83.36 2,66.60 | 43,62.13 -- | 3,42,45.49 2,66.60 | 3,03,38.49 18.05 | (-) 39,07.00 (-) 2,48.55 | 30,12.28 2,35.91 |
| 3 | लोक ऋण प्रभारित | 1,63,46.13 | -- | 1,63,46.13 | 1,27,57.30 | (-)35,88.83 | -- |
| 4 | ऋण एवं अग्रिम दत्तमत | 15,36.41 | 1,78.62 | 17,15.03 | 12,30.32 | (-) 4,84.71 | 3,82.21 |
| 5 | अंतर्राज्यीय परिशोधन दत्तमत | -- | -- | -- | (-) 0.25 | (-) 0.25 | |
| | योग | 20,53,97.50 | 3,05,29.53 | 23,59,27.03 | 21,29,83.61 | (-)2,29,43.42 | 99,47.45 |

4.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बचत (-)/आधिक्य (+) | | | | | योग |
|---------|--------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | राजस्व | पूँजीगत | लोक ऋण | ऋण एवं अग्रिम | अंतर्राज्यीय परिशोधन | |
| 2016-17 | (-) 2,54,50.72 | (-) 91,45.74 | (-) 41,80.22 | (-) 16,48.95 | -- | (-) 4,04,25.63 |
| 2017-18 | (-) 2,10,13.82 | (-) 69,68.48 | (-) 37,69.89 | (-) 25,84.96 | -- | (-) 3,43,37.15 |
| 2018-19 | (-) 4,24,80.51 | (-) 78,50.21 | (+) 10,26.20 | (-) 11,69.03 | (+) 1.05 | (-) 5,04,72.50 |
| 2019-20 | (-) 4,75,73.37 | (-) 96,93.32 | (-) 38,69.72 | (-) 9,94.60 | (-) 0.62 | (-) 6,21,31.63 |
| 2020-21 | (-) 1,47,14.08 | (-) 41,55.54 | (-) 35,88.83 | (-) 4,84.71 | (-) 0.25 | (-) 2,29,43.41 |

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

एक अनुदान के अन्तर्गत विशिष्ट बचतें कुछ योजना/कार्यक्रमों के अकार्यान्वयन या धीमे कार्यान्वयन को दर्शाता है।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें एवं विशिष्ट बचतें निम्नानुसार हैं:—

(बचत प्रतिशत में)

| अनुदान | नाम | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| राजस्व दत्तमत अनुभाग | | | | | | |
| 01 | सामान्य प्रशासन | 18.85 | 10.63 | 18.25 | 34.03 | 36.75 |
| 07 | वाणिज्यिक कर | 34.56 | 14.10 | 28.01 | 38.67 | 11.73 |
| 16 | मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास | 29.95 | 25.22 | 20.11 | 19.92 | 11.83 |
| 21 | लोक सेवा प्रबन्धन | 65.69 | 50.38 | 44.63 | 30.97 | 22.25 |
| 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल | 28.18 | 24.78 | 35.10 | 17.35 | 16.15 |
| 28 | राज्य विधान मण्डल | 20.75 | 11.85 | 10.64 | 15.94 | 17.82 |
| 29 | विधि और विधायी कार्य | 23.69 | 23.02 | 18.71 | 25.18 | 25.71 |
| 31 | योजना, आर्थिक और सांख्यिकी | 66.85 | 18.60 | 29.97 | 27.43 | 24.44 |
| पूँजीगत दत्तमत अनुभाग | | | | | | |
| 01 | सामान्य प्रशासन | 14.39 | 11.47 | 47.09 | 55.28 | 13.05 |
| 06 | वित्त | 94.34 | 89.08 | 47.39 | 89.76 | 65.73 |
| 08 | भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन | 19.98 | 21.97 | 41.49 | 42.94 | 23.77 |
| 13 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास | 1,00.00 | 1,00.00 | 1,00.00 | 1,00.00 | 1,00.00 |
| 14 | पशुपालन | 27.76 | 80.58 | 55.64 | 76.31 | 20.14 |
| 21 | लोक सेवा प्रबन्धन | 19.91 | 68.73 | 86.84 | 78.37 | 54.69 |
| 27 | स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) | 33.03 | 70.24 | 65.33 | 10.61 | 11.44 |
| 29 | विधि और विधायी कार्य | 1,00.00 | 1,00.00 | 1,00.00 | 12.65 | 32.17 |
| 36 | परिवहन | 15.10 | 56.56 | 79.88 | 52.63 | 20.99 |
| 42 | भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास | 40.12 | 60.03 | 1,00.00 | 98.45 | 29.07 |

2020-21 के दौरान कुछ प्रकरणों में पूरक अनुदान/विनियोग राशि ₹ 3,05,29.53 करोड़ (कुल व्यय ₹ 21,29,83.61 करोड़ का 14.33 प्रतिशत) अनावश्यक सिद्ध हुआ, जहाँ पर मूल आवंटन के विरुद्ध वर्ष के अन्त में महत्वपूर्ण बचतें हुईं। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :-

(₹ करोड़ में)

| अनुदान | नाम | अनुभाग | मूल प्रावधान | पूरक प्रावधान | वास्तविक व्यय |
|--------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 01 | सामान्य प्रशासन | राजस्व (दत्तमत) | 6,35.16 | 47.36 | 4,31.70 |
| 02 | सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय | राजस्व (दत्तमत) | 95.66 | 38.28 | 82.38 |
| 08 | भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन | पूंजीगत (दत्तमत) | 1,71.10 | 1.63 | 1,31.67 |
| 12 | ऊर्जा | पूंजीगत (दत्तमत) | 11,20.57 | 38.62 | 5,07.51 |
| 29 | विधि और विधायी कार्य | राजस्व (दत्तमत) | 16,93.68 | 7.00 | 12,63.37 |
| 31 | योजना, आर्थिक और सांख्यिकी | राजस्व (दत्तमत) | 99.08 | 6.00 | 79.40 |
| 33 | जनजातीय कार्य | पूंजीगत (दत्तमत) | 10,98.79 | 12.25 | 6,64.32 |
| 38 | आयुष | राजस्व (दत्तमत) | 4,53.80 | 89.64 | 4,17.39 |
| 50 | उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण | राजस्व (दत्तमत) | 5,13.41 | 28.86 | 4,02.16 |
| 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | पूंजीगत (दत्तमत) | 1.00 | 4,85.40 | 0.00 |
| 63 | अल्प संख्यक कल्याण | राजस्व (दत्तमत) | 17.42 | 0.79 | 8.40 |
| 65 | विमानन | पूंजीगत (दत्तमत) | 62.00 | 33.50 | 60.17 |
| | योग | | 59,61.67 | 7,89.33 | 40,48.47 |

अध्याय — 5

परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

5.1 परिसम्पत्तियाँ

लेखाओं का विद्यमान स्वरूप शासकीय परिसम्पत्ति जैसे भूमि, भवन आदि का जिस वर्ष में क्रय/अर्जन किया गया है, को छोड़कर, सही मूल्यांकन प्रदर्शित नहीं करता। इसी प्रकार लेखाओं का यह स्वरूप वर्तमान वर्ष में उत्पन्न देयताओं के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, ये कुछ सीमा तक, ब्याज की दर एवं विद्यमान ऋणों की अवधि को छोड़कर भावी पीढ़ी पर समग्र प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

2020–21 के अंत तक, सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त पूंजी कंपनियों और साझेदारियों, बैंकों एवं सहकारिताओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 3,90,92 करोड़ रहा। तथापि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹ 2,88 करोड़ (एक प्रतिशत) लाभांश प्राप्त हुआ। 2020–21 के दौरान निवेश में ₹ 27,18 करोड़ की वृद्धि एवं लाभांश में ₹ 1,88 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च 2020 को रिजर्व बैंक के पास ₹ 66,47 करोड़ सामान्य रोकड़ शेष था जो 31 मार्च 2021 के अंत में बढ़कर ₹ 1,71,47 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का सामान्य शेष ₹ 1,05,00 करोड़ से बढ़ गया।

5.2 ऋण तथा दायित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 में राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा में, यदि कोई, जैसा कि समय-समय पर राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्धारित की गई हों, राज्य सरकार को उधार लेने की शक्ति प्रदत्त की गई है।

राज्य सरकार की कुल दायित्वों और लोक ऋण का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)


| वर्ष | लोक ऋण | जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत | लोक लेखे ^(*) | जी.एस.डी. पी. का प्रतिशत | कुल दायित्व ^(*) | जी.एस.डी. पी. का प्रतिशत |
|---------|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2016-17 | 12,23,08 | 19 | 3,34,92 | 5 | 15,58,00 | 24 |
| 2017-18 | 13,84,24 | 19 | 3,39,39 | 5 | 17,23,63 | 24 |
| 2018-19 | 15,73,98 | 19 | 3,69,11 | 5 | 19,43,09 | 24 |
| 2019-20 | 18,08,29 | 20 | 4,97,43 | 5 | 23,05,72 | 25 |
| 2020-21 | 23,32,42 | 25 | 5,60,56 | 6 | 28,92,98 | 32 |

* उचन्त एवं प्रेषण शेष छोड़कर

टीप :- वर्ष के अन्त में आंकड़ों का प्रगामी शेष है।

2019-20 की तुलना में 2020-21 में लोक ऋण एवं अन्य दायित्व में ₹ 5,87,27 करोड़ (25 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

शासकीय दायित्वों का रुझान



(*) ब्याज मुक्त आरक्षित निधियां एवं जमा।

5.3 प्रत्याभूतियाँ

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानक-1 (आई.जी.ए.एस.1) की आवश्यकता के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियाँ को वित्त लेखे में दर्शाया गया है। सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि के द्वारा लिये गये पूंजी, ऋण तथा उन पर ब्याज भुगतान के लिये राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान के लिए दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

| वर्ष के अंत में | अधिकतम प्रत्याभूतित राशि (केवल मूलधन) | 31 मार्च को बकाया मूलधन एवं ब्याज |
|-----------------|--|--------------------------------------|
| 2016-17 | 4,03,95 | 3,33,97 |
| 2017-18 | 3,16,53 | 1,40,03 |
| 2018-19 | 5,56,40 | 3,07,63 |
| 2019-20 | 4,30,17 | 3,09,30 |
| 2020-21 | 5,44,64 | 3,70,10 |

टीप :- विवरण संख्या 9 में विस्तृत विवरण दिया गया है जो कि राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी पर आधारित है और जहाँ उपलब्धता थी वहाँ संबंधित संस्थानों द्वारा कराई गई है।

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 27.01.2006 के द्वारा वर्ष 2006 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया है, अधिसूचना में यह अनुबंध है कि राज्य सरकार प्रारम्भ में निधि में ₹ 3 करोड़ का योगदान करेगा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जावेगा। योजनानुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क के रूप में एकत्र की हुई राशि के साथ प्रत्याभूति शुल्क के बराबर की राशि का स्थानान्तरण इस निधि में किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार समय-समय पर कोई भी राशि इस निधि में हस्तांतरित कर सकती है।

31 मार्च 2021 तक निधि का कुल संचय ₹ 9,60 करोड़ था। ₹ 9,17 करोड़ की राशि करोड़ आर.बी.आई. द्वारा निवेश की गई है। विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

| 01 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष | निधि में संवर्धन (योगदान व ब्याज) | | निधि में से भुगतान | निधि में कुल शेष | वर्ष 2020-21 के दौरान आर.बी.आई. द्वारा निवेश की गई राशि | 31 मार्च 2021 को अंत शेष |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------|
| | अपेक्षित योगदान | वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक आंकड़े | | | | |
| 4,09 | 4 | 5,51 | निरंक | 9,60 | 9,17 | 43 |

अध्याय — 6

अन्य मदें

6.1 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानक तीन (आई.जी.ए.एस.3) की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण एवं अग्रिम को वित्त लेखों में दर्शाया गया है। बकाया ब्याज भुगतान, संस्थाओं द्वारा बकाया ऋण की वापसी, वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋण एवं अग्रिम से संबंधित जानकारी और ऋण और अग्रिम से संबंधित असाधारण लेन-देन का संकेत देने वाले खुलासे राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के अंत तक कुल ₹ 4,37,57 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम दिए गए। इसमें से राशि ₹ 4,37,38 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम, शासकीय निगमों/ कम्पनियों, अशासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को दिए गए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने राशि ₹ 12,30 करोड़ के ऋण और अग्रिम वितरित किए तथा राशि ₹ 58 करोड़ के लंबित ऋण वसूल किए। वर्ष के दौरान ₹ 98 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुए।

6.2 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार को लेखांकन मानक-2 (आई.जी.ए.एस.2) की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता अनुदान को वित्त लेखों में दर्शाया गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान वर्ष 2016-17 में ₹ 4,99,80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 6,42,71 करोड़ हुआ। वर्ष के दौरान शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया अनुदान (₹ 2,59,77 करोड़) पूरे वर्ष में दिये गये कुल अनुदान का 40 प्रतिशत है।

विगत पांच वर्षों के सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | शहरी स्थानीय निकाय | पंचायती राज संस्थान | अन्य | योग |
|---------|--------------------|---------------------|---------|---------|
| 2016-17 | 81,94 | 1,68,08 | 2,49,78 | 4,99,80 |
| 2017-18 | 1,10,02 | 2,76,38 | 1,48,15 | 5,34,55 |
| 2018-19 | 1,14,09 | 2,63,01 | 1,67,18 | 5,44,28 |
| 2019-20 | 62,04 | 1,88,29 | 4,02,25 | 6,52,58 |
| 2020-21 | 68,74 | 1,91,03 | 3,82,94 | 6,42,71 |

6.3 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

| घटक | 1 अप्रैल, 2020 को | 31 मार्च, 2021 को | निवल वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| रोकड़ शेष | (-) 46,23 | (-) 36,42 | 9,81 |
| रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय देयक एवं प्रतिभूतियाँ) | 1,12,70 | 2,07,89 | 95,19 |
| उद्धिष्ट निधियों के शेषों से निवेश | 4,16 | 9,24 | 5,08 |
| (क) निक्षेप निधि | -- | -- | -- |
| (ख) प्रतिभूति मोचन निधि | 4,09 | 9,17 | 5,08 |
| (ग) अन्य निधियां | 7 | 7 | -- |
| ब्याज की वसूली | 1,45 | 1,45 | -- |

6.4 लेखों का पुनर्मिलान

लेखाओं की शुद्धता तथा विश्वसनीयता अन्य बातों के साथ-साथ समय पर विभागीय आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखाओं के आंकड़ों के मिलान पर निर्भर है। यह कार्य संबंधित विभागाध्यक्षों के द्वारा संपादित किया जाता है। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के कुल व्यय ₹ 19,50,88 करोड़ के 97 प्रतिशत (राशि ₹ 18,86,39 करोड़) का मिलान किया गया। इसी प्रकार कुल प्राप्त ₹ 14,63,77 करोड़ के विरुद्ध 98 प्रतिशत (₹ 14,39,00 करोड़) का मिलान किया गया। राज्य सरकार द्वारा लोक लेखे में जमा, आरक्षित निधियों एवं अन्य लेखों का पुनर्मिलान कार्य नहीं किया गया।

6.5 राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.)

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 179 एवं 182 के संबंध में, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा उस प्राधिकारी को

प्रत्येक वर्ष 01 जून या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसने इसे अनुदान की प्राप्ति की तिथि से या उससे पहले उसी वस्तु पर आगे अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले, जो भी पहले हो, को स्वीकृत किया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत नहीं करने की सीमा तक, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि वित्तीय लेखों में दर्शायी गई राशि लाभार्थियों तक पहुंच गई थी तथा इस प्रकार व्यय को सही या अंतिम के रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, मार्च 2021 तक की अवधि तक, बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) से संबंधित किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया गया। आई.एफ.एम.आई.एस. में प्रमाणकों के समर्थन में दस्तावेज अपलोड नहीं किये जा रहे हैं, जिसके कारण सशर्त एवं बिना शर्त अनुदानों की पहचान संभव नहीं है। अतः सभी सहायता अनुदानों को वर्ष 2019-20 में बिना शर्त वाले अनुदान के रूप में दर्ज किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 में शून्य वृद्धि हुई। दिनांक 31.03.2021 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) की स्थिति निम्नानुसार है :

| (₹ करोड़ में) | | |
|---------------|--|----------------|
| बकाया वर्ष | बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या | राशि |
| 2018-19 तक | 19,586 | 1,41,35 |
| 2019-20 | 18 | 14,06 |
| 2020-21 | निरंक | निरंक |
| योग | 1,96,04 | 1,55,41 |

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किये जाने में मुख्यतः चूक करने वाले विभाग है – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (₹ 87,11 करोड़, 56 प्रतिशत), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (₹ 21,86 करोड़, 14 प्रतिशत), सामाजिक कल्याण एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग (₹ 7,48 करोड़, 5 प्रतिशत), किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (₹ 4,40 करोड़, 3 प्रतिशत)।

6.6 उंचत शेषों का संचय :-

उंचत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेषों की गैर निकासी प्राप्ति/व्यय के लेखों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ाये जाने वाले आंकड़ों एवं शेषों की शुद्धता को प्रभावित करती है। उंचत मदों की निकासी राज्य कोषालयों, निर्माण, वन एवं ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभाग, लेखा एवं भुगतान कार्यालयों इत्यादि द्वारा प्रेषित जानकारी पर निर्भर करती है।

महत्वपूर्ण बकाया उचंत शेषों का विवरण नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

| लेखे का शीर्ष | | 01 अप्रैल 2020 की स्थिति में पूर्व शेष | | प्राप्ति | संवितरण | 31 मार्च 2021 की स्थिति में अंत शेष | |
|---------------|---|--|-------|----------|----------|-------------------------------------|-------|
| 8658 | उचंत लेखा | | | | | | |
| 107 | नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा | नामे | 1,14 | निरंक | निरंक | नामे | 1,14 |
| 109 | रिजर्व बैंक उचन्त मुख्यालय | जमा | 1,48 | (-) 3 | 2 | जमा | 1,43 |
| 110 | रिजर्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय | नामे | 18,07 | 1 | (-) 4,45 | नामे | 13,61 |
| 112 | स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत | जमा | 1,77 | 56 | (-) 2,97 | जमा | 5,30 |
| 113 | भविष्य निधि उचंत | नामे | 15 | निरंक | (-) 2 | नामे | 13 |
| 123 | अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का समूह बीमा योजना | जमा | 11 | 1 | 1 | जमा | 11 |
| 129 | सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखे | जमा | 1,87 | निरंक | निरंक | जमा | 1,87 |
| 139 | जी.एस.टी.- स्रोत पर कर कटौती उचंत | जमा | 19 | 2,99 | 2,64 | जमा | 54 |

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in